Journal of Social Issues and Development (JSID)
(Himalayan Ecological Research Institute for Training and Grassroots Enhancement (HERITAGE)
ISSN: 2583-6994 (Vol. 3, Issue 2, May-August, 2025. pp. 182-194)

भारत सरकार की जनजातीय विकास संबंधी नीतियाँ एवं योजनाओं का विश्लेषण

[1]सागर जोशी
[2]डॉ. मनस्वी सेमवाल

शोध सार

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े आदिवासी समूहों और समुदायों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया। ये जनजातियाँ देश के विविध पारिस्थितिकीय और विषम भौगोलिक क्षेत्रों में, जैसे कि मैदानों, घने जंगलों, और ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति स्वतंत्रता के समय से ही अत्यंत दयनीय रही है, और ये लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा का शिकार रहे हैं। इनके संरक्षण, उत्थान और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समक्ष हमेशा से एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस दिशा में, केंद्र और राज्य सरकारों ने संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विशेष प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में आदिवासियों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अरबों रुपये की धनराशि का आवंटन, और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विविध

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड–246174, Email. Joshisagar12011994@gmail.com
[2] Assistant Professor, Department of Humanities and Social Sciences, Graphic Era Deemed to be University Dehradun (Uttarakhand)

कार्यक्रमों का संचालन शामिल है। इन सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण शोधार्थी ने इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास और समग्र उत्थान के लिए लागू की गई नीतियों, योजनाओं और संवैधानिक उपायों का विस्तृत अध्ययन और मूल्यांकन किया गया है। इस शोध पत्र का उद्देश्य इन प्रयासों की प्रभावशीलता, उनकी उपलब्धियों, और उनमें निहित कमियों को उजागर करना है, ताकि भविष्य में और अधिक समावेशी और प्रभावी नीतियों का निर्माण किया जा सके।

कुंजि शब्द– आदिवासी, अनुसूचित जनजातीय, विकास नीति, कल्याणकारी योजनाएं।

प्रस्तावना

आदिवासी समुदाय, भारत के विविध भौगोलिक और पारिस्थितिकीय वातावरण में निवास करने वाला एक ऐसा मानव समूह है, जो अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से एक अद्वितीय और पृथक सांस्कृतिक स्वरूप का सृजन करता है। प्रकृतिजीवी और प्रकृति पूजक के रूप में प्रसिद्ध यह समुदाय, आधुनिक सभ्यता की भौतिकवादी जीवनशैली से सर्वथा भिन्न और अनोखी जीवनशैली का सृजन करता रहा है। ये समुदाय जल, जंगल, जमीन और जीव–जंतुओं के साथ अत्यंत घनिष्ठता से जुड़े होते हैं। शिकार, वनोपज संग्रह, पशुपालन और परंपरागत कृषि जैसे कार्य इनके जीवन का आधार रहे हैं, जबकि भोजन, उत्सव, मनोरंजन और सामुदायिकता इनके जीवन के अभिन्न अंग हैं।

आदिवासी समाज भोग–विलास और भौतिकवादी जीवनशैली से दूर, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर, सादगी और संतोष से परिपूर्ण जीवन जीने का आदी रहा है। यद्यपि यह समुदाय आधुनिक भौतिक सुख–सुविधाओं में पिछड़ा हो सकता है, किंतु यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल निवासी होने के गौरव का स्वामी है। प्रकृति की गोद में रहते हुए, आदिवासियों ने मानवीय मूल्यों और प्रकृति–सम्मत संस्कृति को पोषित कर स्वयं को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। इतिहास के लंबे कालखंडों में, इस समुदाय ने अपने मूलभूत कौशल, सादगी और संतुष्टि की पूंजी को संरक्षित और समृद्ध किया है। आर्थिक दृष्टि से भले ही वे कमजोर रहे हों, किंतु सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के दृष्टिकोण से वे अन्य समाजों से कहीं आगे हैं।

आदिवासियों की हस्तकला, संगीत और नृत्य की समृद्ध धरोहर उनकी सांस्कृतिक संपदा, विरासत और पहचान को दर्शाती है। ये परंपराएँ न केवल उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखती हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उनकी अनूठी कला और संस्कृति को प्रदर्शित

करती हैं। भारत के विशाल भू–भाग पर फैले ये समुदाय, जो पर्वतीय, पठारी, जंगली और समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण विकास की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। इन्हें वनवासी, गिरिजन, आदिवासी, वन पुत्र, पहाड़ी, इंडिजिनस, ऐबोरिजिनल और देशज जैसे विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जो इनके प्रकृति और भू–भाग से गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं।[1]

भारत के संविधान निर्माताओं को इस बात का पूर्णतः आभास था कि देश के आदिवासी समुदायों को सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारिता प्रदान करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान में आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई विशेष प्रावधान शामिल किए गए। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात जनजातीय समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribes) की विशिष्ट संज्ञा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, 1950 में 212 जनजातियों की पहचान कर एक सूची तैयार की गई, जिसे 'अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 के अंतर्गत शामिल किया गया और इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि, इस सूची में सभी जनजातीय समुदायों को शामिल नहीं किया गया, जबकि वे सभी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े थे। इस कारण इस आदेश का व्यापक विरोध हुआ। इस विरोध को ध्यान में रखते हुए, 'पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया गया, जिसके अनुमोदन के आधार पर पूर्व में तैयार की गई सूची को संशोधित किया गया। साथ ही, 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' के तहत राज्यों की सूचियों में भी परिवर्तन किए गए।[2]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित घोषित किया गया है। अनुच्छेद 342 के अनुसार, केवल वे समुदाय जो राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना या संसद के अधिनियम द्वारा संशोधन के माध्यम से घोषित किए गए हैं, अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची में 'अनुसूचित क्षेत्रों' को परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों की विशेषताओं में जनजातीय आबादी की प्रचुरता, क्षेत्र की सघनता, उपयुक्त आकार, व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ, और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन शामिल हैं। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है।[3] वर्तमान में, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 700 से अधिक जनजातियाँ अधिसूचित हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। कई जनजातियाँ एक से अधिक राज्यों में निवास करती हैं।[4]

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय आबादी 10.45 करोड़ है। जनजातियों की 89.97 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचलों में और 10.03 प्रतिशत शहरों में निवास करती है। विविधताओं से भरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश की जनजातीय आबादी का 12 प्रतिशत हिस्सा रहता है। पिछली जनगणनाओं से तुलना करें तो समग्र रूप में जनजातीय आबादी बढ़ रही है। 1971 में वह देश की आबादी का 6.9 प्रतिशत थी जो 1991 में 8.1 प्रतिशत और 2011 में बढ़ कर 8.6 प्रतिशत हो गई।[5] विश्व के अनेक प्रमुख देशों (फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, वियतनाम, मिस्र आदि)[6] की कुल जनसंख्या से भी अधिक की जनसंख्या आज भारत में अनुसूचित जनजातियों की है।

कुछ जनजातीय समुदायों ने मुख्यधारा की जीवनशैली को अपनाया है, जबकि 75 कमजोर जनजातीय समूहों को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के कारण 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' (Particularly Vulnerable Tribal Groups) के रूप में चिह्नित किया गया है। इन समूहों को संरक्षण और विकास योजनाओं के माध्यम से मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि, आधुनिक भारत में नई भू–राजस्व नीतियाँ, भू–अधिकार और भू–व्यवस्था के प्रमाण, प्रतिबंधात्मक वन नीतियाँ, समानता, दीवानी और फौजदारी कानूनों ने जनजातीय समुदायों के समक्ष अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इन नीतियों और कानूनों ने जनजातियों के पारंपरिक जीवन और संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप उनके विकास और अधिकारों के लिए और अधिक प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है।[7]

जनजातियों के संरक्षण एवं अधिकारों संबंधी संवैधनिक एवं कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, अनुसूचित जनजातियों सहित सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जनजातियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से केंद्र और राज्य सरकारों को रोकता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15(4) सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती हैं। अनुच्छेद 16(4) सरकार को सरकारी नौकरियों और पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान करता है, ताकि जनजातीय समुदायों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत, केंद्र सरकार राज्यों को जनजातीय विकास के लिए 100 प्रतिशत वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करती है। यह अनुदान भारत की संचित निधि से लिया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान को छोड़कर, जो एक मतदान मद के रूप में होता है) और इसे राज्य योजना निधि तथा जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए अतिरिक्त संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन निधियों का उपयोग पंचायती राज संस्थानों,

जिला परिषदों, और अन्य संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आदिवासी समुदायों, समूहों और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए किया जाता है।[8] इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों को कई कानूनी प्रावधानों के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया है। इनमें वन अधिकार अधिनियम, 2006, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 शामिल हैं। ये कानून जनजातियों के अधिकारों को सुरक्षित करने और उनके शोषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 89वें संविधान संशोधन, 2003 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अनुच्छेद 338क को शामिल किया गया। इसके तहत 19 फरवरी, 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। आयोग को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से वंचित करने या उनके संरक्षण से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिससे यह प्रभावी ढंग से उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है।[9]

भारत सरकार के जनजातीय विकास संबंधी प्रमुख नीतिगत कदम

अनुसूचित जनजातियों के विकास में समन्वित और नियोजित तरीके से अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया। यह मंत्रालय जनजातियों के समग्र एवं समावेशी विकास हेतु नीतियों एवं कार्ययोजनाओं को तैयार कर बजट की व्यवस्था करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं। इन नीतियों और कार्यक्रमों को निम्नानुसार देखा जा सकता है।

शिक्षा संबंधी नीति

अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1997– 98 में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं। ईएमआरएस में अध्ययन के लिए छात्रों का प्रवेश उचित चयन या खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है जहां आदिवासियों को पीवीटीजी और पहली पीढ़ी के छात्रों आदि को वरीयता दी जाती है। वर्ष 2018–19 में सरकार द्वारा इसके लिए विशेष योजना बनाई गई। इस योजना के तहत 50 प्रतिशत या 20 हजार अनुसूचित जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा, जो नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे। सरकार ने 2026 तक 740 ईएमआरएस के लक्ष्य को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया है। प्रत्येक

ईएमआरएस में 480 छात्रों की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। इस प्रकार से इसके तहत 3.5 लाख छात्र लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्तमान में 401 ईएमआरएस कार्यशील है।[10]

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) सहित अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का प्रसार करना है। यह योजना 1990–91 से संचालित हो रही है और इसका कार्यान्वयन जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रों तथा केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। यह योजना प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर आश्रम स्कूलों के निर्माण तथा पीवीटीजी सहित आदिवासी लड़के और लड़कियों के लिए मौजूदा आश्रम स्कूलों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आश्रम स्कूलों के बुनियादी ढांचे, जैसे स्कूल भवन, टीएसपी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रावास, रसोई और स्टाफ क्वार्टर, के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि, अन्य गैर–आवर्ती व्ययों के लिए टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों को 50:50 के अनुपात में धन प्राप्त होता है। वहीं, नक्सल प्रभावित टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना के लिए सभी आवर्ती और गैर–आवर्ती व्ययों सहित 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति संबंधी योजना

जनजातिया कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित पांच छात्रवृत्ति योजनाओं में प्री– मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप ,राष्ट्रीय छात्रवृत्ति एवं राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति को संचालित किया गया है। छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत हर साल औसतन 30 लाख से अधिक छात्र लाभा प्राप्त कर रहे है। वर्ष 2023–24 के लिए सरकार द्वारा 2531.40 करोड रुपए का बजट पेश किया गया है।

1. प्री–मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को मिलता है। इसके लिए माता–पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में कक्षा 11वीं या उससे उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए भी माता–पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

यह योजना अकादमिक वर्ष 2007–08 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य मेधावी एसटी

छात्रों को प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग,सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में पहचाने गए सरकारी और निजी संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र को कवर करने वाले सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में योजना के तहत 127 संस्थानों की पहचान की गई है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए 1000 स्थान हैं। आवेदक में माता–पिता की आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना 2200रु प्रति माह, पुस्तकों एवं स्टेशनरी के लिए 3000रु प्रति वर्ष और कंप्यूटर सहायक उपकरण के लिए 45,000रु एकमुश्त अनुदान के साथ प्रति वर्ष अधिकतम 2.5 लाख के साथ पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रदान करती है।

3. उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

राष्ट्रीय फैलोशिप योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों, जो देश में सबसे कम साक्षरता दर वाले समुदाय का हिस्सा हैं, को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए फेलोशिप प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। इस योजना को वर्ष 2005–06 में राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के रूप में शुरू किया गया था, जिसका नाम अब बदलकर 'अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा राष्ट्रीय फैलोशिप' कर दिया गया है। यह भारत सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित है। यह योजना एसटी उम्मीदवारों को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नियमित एवं पूर्णकालिक एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष सभी विषयों के लिए एसटी उम्मीदवारों को कुल 750 स्थान आवंटित किए जाते हैं। फेलोशिप की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, जिसमें पहले 3 वर्षों के लिए 31,000 रुपये प्रति माह और अगले 2 वर्षों के लिए 35,000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है।

4. अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना

यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में परास्नातक, डॉक्टरेट और पोस्ट–डॉक्टरेट करने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष कुल 20 पुरस्कार/ छात्रवृत्ति दी जाती है। इनमें से 17 पुरस्कार/ छात्रवृत्ति एसटी के लिए और 3 पुरस्कार/ छात्रवृत्ति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित छात्रों के लिए हैं। उम्मीदवार के माता–पिता/पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।[11]

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

आदिवासी आबादी के भीतर कुछ ऐसे समुदाय है जो कम हो रहे है और साक्षरता के निम्न स्तर, पूर्व कृषि स्तर की तकनीक के साथ अधिक पिछड़े हुए एवं आर्थिक रूप से कमजोर

है। इन आदिवासी समुदायों के विशाल बहुमत ने शैक्षिक, आर्थिक उन्नति के पर्याप्त स्तर को पूरा नहीं किया है और उनका स्वास्थ्य सूचकांक कम है। विकास योजना में व्यापक और सामान्य सामाजिक–आर्थिक विकास की दिशा में आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुधन, लिंक रोड निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापना, जनश्री बीमा योजना या अन्य आविष्कार गतिविधि सहित सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य शामिल हैं।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

जनवरी 2018 में सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलने का लक्ष्य है। इनमें से अधिकांश जिले आदिवासी–बहुल हैं। स्कूली शिक्षा भी इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में से एक है। शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, कार्यात्मक पेयजल सुविधा, कार्यात्मक बिजली सुविधा जैसे बुनियादी ढांचे तथा आरटीई निर्दिष्ट छात्र–शिक्षक अनुपात जैसे आवश्यक पैरामीटर उपलब्ध कराकर इन जिलों में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

तलिका 1.1: जनजातीय विकास हेतु मंत्रालय का बजट 2013–14 से 2023–24

वर्ष	बजट (करोडों में)	वर्षिक वृद्धि
2013-14	4,295	-
2014-15	4,379	1.96%
2015-16	4,716	7.7%
2016-17	4,977	5.5%
2017-18	5,329	7.1%
2018-19	6,000	12.6%
2019-20	6,818	13.6%
2020-21	7,411	8.7%
2021-22	7,524	1.5%
2022-23	8,451	12.3%
2023-24	12,461	47.4%

स्रोत– जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार

तलिका 1.1 के अनुसार, वर्ष 2013–14 में जनजातीय कल्याण के लिए 4,295 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया, जो इस दिशा में केंद्र सरकार के समर्पण की शुरुआत मानी जा सकती है। इस समय "वनबंधु कल्याण योजना" और आवासीय विद्यालयों जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। 2014–15 में बजट मामूली वृद्धि के साथ 4,379 करोड़ रहा, जहां आदिवासी उपयोजना (TSP) को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास हुआ। वर्ष 2015–16 में

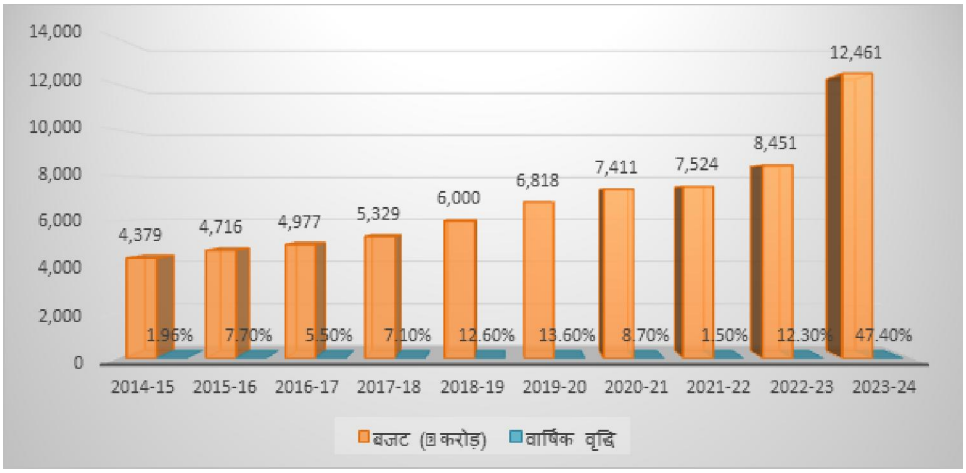

चित्र 1.1: जनजातीय विकास हेतु मंत्रालय का बजट : 2013–14 से 2023–24

4,716 करोड़ का बजट तय किया गया, जो लगभग 7.7% की वृद्धि को दर्शाता है; इस दौरान डिजिटल शिक्षा और छात्रवृत्तियों पर बल दिया गया। 2016–17 में यह आंकड़ा 4,977 करोड़ तक पहुंचा, जिसमें शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया, साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की नींव रखी गई। वर्ष 2017–18 में बजट 5,329 करोड़ रहा, जिसमें छात्रवृत्ति योजनाओं और महिला सशक्तिकरण को बल दिया गया। 2018–19 में पहली बार बजट 6,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया और वनबंधु कल्याण योजना का पुनर्गठन किया गया। 2019–20 में यह 6,818 करोड़ तक बढ़ा, जिसमें लगभग 13.6% की वृद्धि हुई और एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया गया।

2020–21 में, कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद बजट को बढ़ाकर 7,411 करोड़ किया गया और डिजिटल तथा स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। 2021–22 में 7,524 करोड़ का हल्का बजट वृद्धि(1.5%) देखने को मिला, जिसमें कोविड उपरांत राहत योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2022–23 में बजट 8,451 करोड़ तक पहुंचा, जिसमें 12.3% की वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण योजना (PM DAKSH) का कार्यान्वयन शुरू हुआ। अंततः 2023–24 में बजट में सबसे बड़ी छलांग देखने को मिली और यह 12,461 करोड़ तक पहुंचा, जो लगभग 47.4% की वृद्धि है। इस वर्ष विशेष रूप से एकलव्य विद्यालयों के लिए 5,943 करोड़ आवंटित किए गए और डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई।

जनजातीय उत्पाद/उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता

भारत सरकार द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक बहु–राज्य सहकारी

संस्था, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED) को अनुदान प्रदान किया जाता है। यह पहल राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (STDCCs) के साथ मिलकर अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास को लक्षित करती है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के उत्पादन, उत्पाद विकास तथा पारंपरिक विरासत के संरक्षण को बढावा देना है। साथ ही, यह योजना जनजातीय वन उत्पादों और कृषि उत्पादों के समर्थन के माध्यम से विभिन्न जनजातीय समुदायों को व्यापक सहायता प्रदान करती है। प्राप्त निधियों का उपयोग संस्थाओं को बेहतर बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने, डिजाइन विकास, मूल्य निर्धारण की जानकारी के प्रसार, उत्पादों की खरीद, और टिकाऊ विपणन के लिए सरकारी एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करने में किया जाता है। इसका उद्देश्य एक उचित मूल्य प्रणाली सुनिश्चित करना है जिससे जनजातीय उत्पादकों को उनका वाजिब लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के साथ समन्वय कर डेटा साझा करता है, ताकि कौशल उन्नयन, उत्पादों में नवाचार, और बाजार मूल्य में वृद्धि की दिशा में कार्य किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को उनके पारंपरिक उत्पादों के लिए संस्थागत सहायता, प्रचार–प्रसार, और आजीविका आधारित गतिविधियों के विकास में मदद प्रदान की जाती है।[12]

ट्राईफेड

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) बीते कुछ दशकों में आदिवासी समुदायों के जीवन को सशक्त बनाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरी है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी, और तब से यह जनजातीय उत्पादों के विपणन, विपणन–संबंधित प्रशिक्षण, एवं आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य कर रही है। ट्राइफेड ने आधुनिक विपणन प्रणाली को अपनाते हुए ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिग बास्केट और सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM) के साथ साझेदारी की है, जिससे जनजातीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड का 119 आउटलेट्स का विस्तृत नेटवर्क है, जिन्हें ''ट्राइब्स इंडिया'' के नाम से जाना जाता है, जहाँ सीधे जनजातीय उत्पादों की बिक्री की जाती है। वर्ष 2020–21 में ट्राइफेड ने 1330.11 लाख रुपये की जनजातीय उत्पाद सामग्री की खरीद की और 3012.75 लाख रुपये की बिक्री की, जिससे लगभग पांच लाख वनवासी लाभान्वित हुए। इस उपलब्धि ने न केवल जनजातीय उत्पादकों को आर्थिक संबल दिया, बल्कि उन्हें मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से भी जोडा। इसके अलावा, वर्ष 2019 में ट्राइब्स इंडिया द्वारा शुरू किया गया 'गो ट्राइबल अभियान' जनजातीय उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रचार और जागरूकता के क्षेत्र में एक प्रभावी पहल सिद्ध हुआ है, जिसका उद्देश्य शहरी उपभोक्ताओं को जनजातीय शिल्प और सांस्कृतिक विविधता से जोडना है।[13]

लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना

यह योजना अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है। ये समुदाय अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः वनों से प्राप्त लघु वनोपज के संग्रह और उसकी बिक्री पर निर्भर करते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से उचित और सुनिश्चित मूल्य प्रदान करना है। यह योजना न केवल एमएफपी संग्रहकर्ताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्रोत्साहित करती है। साथ ही, यह मूल्य श्रृंखला (Value Chain) के विकास के माध्यम से संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन की व्यवस्था को सशक्त बनाती है, जिससे वन उत्पादकों को अधिकतम लाभ मिल सके। इस प्रकार, यह योजना जनजातीय समुदायों की सतत आजीविका को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके) – वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके) का उद्देश्य लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ–साथ मूल्य श्रृंखला का समग्र विकास करना है, ताकि वनों की संपदा का सतत उपयोग करते हुए आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। यह कार्यक्रम जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं संसाधनों का दोहन कर उन्हें प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से जोडने का प्रयास करता है, जिससे पारंपरिक गतिविधियों को आधुनिक और लाभकारी उद्यमों में परिवर्तित किया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें व्यवसायिक सोच से जोडना, और अंततः उद्यमी के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत वनाच्छादित जनजातीय जिलों में, जहाँ आदिवासी समुदायों की संख्या अधिक है, उनके स्वामित्व में वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किए जाते हैं। ये केंद्र संग्रह, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे विभिन्न चरणों में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे जनजातीय समुदायों को स्थायी, सम्मानजनक और लाभकारी रोजगार प्राप्त हो सके।[14]

निष्कर्ष

भारत सरकार की जनजातीय विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन नीतियों ने सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की चुनौतियों को पहचानकर उनके समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियाँ लागू की हैं। विशेष रूप से, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, ने वन भूमि और संसाधनों के उपयोग, आजीविका सुरक्षा, और विस्थापन जैसे मुद्दों में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय के

अंतर्गत स्थापित वन धन विकास केंद्र, लघु वनोत्पादों की खरीद, और हथकरघा, हस्तशिल्प, तथा जीआई टैग वाले स्वदेशी उत्पादों के विपणन ने जनजातीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। ट्राइफेड के प्रयासों, जैसे आदि महोत्सव और जनजातीय मेलों, ने जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई है, जिससे कारीगरों के कौशल और उत्पादों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) और अन्य शैक्षिक पहलों के माध्यम से जनजातीय युवाओं को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया में आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ये प्रयास न केवल शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाते हैं, बल्कि जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में भी सहायक हैं। साथ ही, जनजातीय उप–योजना (एसटीसी) और अन्य विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से बजट आवंटन और संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित की गई है।

हालांकि, जनजातीय विकास की दिशा में अभी भी कई चुनौतियाँ बाकी हैं। स्वशासन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें जनजातीय समुदाय अपने संसाधनों का प्रबंधन स्वयं कर सकें। भागीदारी पर आधारित और जनजाति–प्रबंधित विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देकर ही सच्चा सशक्तीकरण संभव है। इसके लिए नीतियों में और अधिक लचीलापन, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन, और तकनीकी नवाचारों का समावेश आवश्यक है। डिजिटलीकरण और नवीन पहलों, जैसे जनजातीय शोध संस्थानों (टीआरआई) और अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग, को और व्यापक करने की जरूरत है ताकि जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उनकी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्षतः भारत सरकार की जनजातीय विकास नीतियाँ और योजनाएँ समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। इन प्रयासों ने जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भविष्य में, इन नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी, शिक्षा, और आर्थिक सशक्तीकरण पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि जनजातीय समुदाय न केवल विकास की प्रक्रिया में भागीदार हों, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Sundar, N. (Ed.). (2009). Legal grounds: Natural resources, identity, and the law in Jharkhand. Oxford University Press. p. 77

2. महाजन, संजीव (2012); भारत में जनजातीय समाज, प्रथम संसकरण, नई दिल्लीः अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस, पृ0–19

3. भारत 2022, न्यू मीडिया विंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारता सरकार, लोधी रोड, नई दिल्ली, पृ. 357.

4. वार्षिक रिपोर्ट, 2022–2023, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। पृ0–50

5. Chandramouli, C. (2013, May 3). Census of India 2011: Scheduled Tribes in India. Ministry of Home Affairs, Government of India. http://www.censusindia.gov.in

6. Population by country (2025) - Worldometer. (n.d.). Worldometer. https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/

7. मुंडे,रामराव एवं मुनीराजू, (सितंबर 2022), आदिवासियों के लिए सतत आजीविका, कुरुक्षेत्र पत्रिका, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन सी. जी. ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पृ012

8. महज़ब खां. 2022. जनजातीय समाज–संवैधानिक प्राविज़न एवं विकास के प्रतिमान। International Journal of Innovative Research and Creative Technology (IJIRCT), खंड 8, अंक 1. पृ. 1–31, https://www.ijirct.org/viewPaper.php?paperId=2306013

9. Gupta, S. (2022, June 30). अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विधायी विश्लेषण - iPleaders. iPleaders. https://hindi.ipleaders.in/legislative-analysis-of-scheduled-castes-and-scheduled-tribes-prevention-of-atrocities-act-1989/

10. Ministry of Tribal Affairs, Government of India. (2023). ST Report 2022: EMRS. https://trifed.tribal.gov.in

11. तदैव पृ026

12. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED). (2022). TRIFED Annual Report 2021-22. Ministry of Tribal Affairs, Government of India. https://trifed.tribal.gov.in/sites/default/files/2023-10/TRIFED_Annual%20Report%282021-22%29.pdf

13. तदैव पृ022

14. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED). (2024, October 17). Pradhan Mantri Van Dhan Yojana (PMVDY) guidelines. Ministry of Tribal Affairs, Government of India. https://trifed.tribal.gov.in/pmvdy/guideline